

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या. इन्दौर
इकाई-पशु आहार संयंत्र मांगलिया, इन्दौर
हेतु श्रमिक / सेवाकर्मी ठेका
ई-निविदा प्रपत्र

(ठेका की अवधि दिनांक 01.12.2019 से 30.11.2021 तक)

: ई-निविदा आमंत्रणकर्ता :
पशु आहार संयंत्र, मांगलिया, इन्दौर
दूरभाष क्रमांक : (0731) 2806221

E-mail: sudana.manglia@gmail.com, sudana_manglia@rediffmail.com

प्रपत्र मूल्य रू. 1,000/-

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
इकाई पशु आहार संयंत्र, मांगलिया, इन्दौर

पशु आहार संयंत्र हेतु ठेके पर श्रमिक/सेवाकर्मी प्रदाय हेतु निविदा प्रपत्र -

1	निविदा प्रपत्र ऑनलाइन कय एवं प्रस्तुत करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय	18/10/2019 प्रातः 11:00 बजे से
1	निविदा प्रपत्र ऑनलाइन कय एवं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	12/11/2019 प्रातः 11:00 बजे तक
2	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	13/11/2019 दोपहर 12.00
3	निविदा के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि (Earnest Money)	रू. 2,00,000/- (रू. दो लाख मात्र)
4	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	कार्यालय पशु आहार संयंत्र, मांगलिया इन्दौर
5	निविदा की सामान्य शर्तें	प्रपत्र 01
6	निविदा हेतु 'अनिवार्य तकनीकी अर्हताएँ' का विवरण	प्रपत्र 02

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर इकाई पशु आहार संयंत्र, मांगलिया, इन्दौर

प्रपत्र -01

(अ) निविदा की सामान्य शर्तें

1.	पशु आहार संयंत्र, मांगलिया, इन्दौर में आवश्यक सेवाओं को संपादित करने के लिये ठेके पर श्रमिक/सेवा कर्मियों को प्रदाय करने हेतु म.प्र. शासन अथवा अधिकृत निकाय/संस्था में विधिवत पंजीकृत/संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त एकल ठेकेदार/फर्म/सहकारी संस्था/एजेंसी जिसके पास किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/ पशु आहार संयंत्र संस्था में विगत 2 वित्तीय वर्षों (2017-18 एवं 2018-19) में श्रमिक प्रदाय का अनुभव हो और जिसने वित्तीय वर्ष 2018-19 में न्यूनतम 200 दिन तक औसतन कम से कम 25 श्रमिक प्रतिदिन प्रदाय किये हों, ऐसे निविदाकारों की निविदाओं पर ही विचार किया जावेगा।
2.	धरोहर राशि (Earnest Money) रूपये 2,00,000/- (रु. दो लाख मात्र) निविदाकार को ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि के प्रस्तुत निविदाओं को अमान्य किया जावेगा। धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। निविदा स्वीकृत होने पर संघ के प्रबंधन द्वारा कार्यादेश दिये जाने पर यदि निर्धारित तिथि से कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो धरोहर राशि (Earnest Money) राजसात कर दूसरे न्यूनतम निविदाकर्ता को कार्य का ठेका दिया जावेगा। निविदा स्वीकृत होने एवं कार्य शुरू होने पर धरोहर राशि (Earnest Money) को सुरक्षा निधि (Security Deposit) में समायोजित किया जावेगा।
3.	निविदा स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर को होगा।
4.	निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार को पशु आहार संयंत्र, मांगलिया, इन्दौर हेतु प्रतिदिन लगभग 60 श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी एवं कार्य की आवश्यकतानुसार श्रमिकों की संख्या समय-समय पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
5.	निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार द्वारा स्वयं के खर्च से इन निविदा शर्तों का अनुबंध रूपये 1,000/- (रु हजार मात्र) के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पेपर में प्रस्तुत करना होगा एवं कार्य प्रारंभ से पूर्व अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। निर्धारित अवधि तक अनुबंध निष्पादन नहीं होने पर कार्यादेश स्वतः निरस्त हो जावेगा।
6.	सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार को सौंपा हुआ कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर ठेका निरस्त करने एवं सुरक्षा निधि (Security Deposit) राजसात करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर को होगा।
7.	कान्ट्रैक्ट लेबर (रेग्युलेशन एंड ऐबोलीशन) एक्ट 1970 के अंतर्गत निविदाकार के पास श्रमिक प्रदाय हेतु लायसेंस होना आवश्यक है तथा उक्त लायसेंस का समय-समय पर नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार को समस्त अधिनियमों व प्रावधानों तथा भविष्य में होने वाले संशोधनों का पालन भी अनिवार्य रूप से करना होगा।
8.	निविदाएँ खोलने के पश्चात यदि प्रबंधन को दरें अधिक प्रतीत हों और वह आवश्यक समझे तो न्यूनतम निविदाकर्ता को निगोशिएशन हेतु बुलाया जा सकता है। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
9.	श्रमिक ठेका अनुबंध दिनांक 01.12.2019 से 30.11.2021 तक की अवधि तक प्रभावशील रहेगा। अनुबंधित श्रमिक ठेकेदार का कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति से ठेका अवधि आवश्यकतानुसार आगामी दो वर्ष तक पूर्व स्वीकृत दर एवं पूर्वानुसार शर्तों के आधार पर बढ़ाई जा सकेगी।

10.	निविदाकार को कर्मचारी भविष्य निधि में रजिस्ट्रेशन होना/पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण की सत्यापित प्रतिलिपियाँ निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी। निविदाकर्ता पर कारखाना अधिनियम एवं श्रम विभाग में प्रकरण/विवाद आदि लंबित/विचाराधीन नहीं होने का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करना होगा। सफल निविदाकार द्वारा प्रेषित शपथ पत्र बाद में असत्य पाये जाने पर ठेका समाप्त किया जा सकेगा। पशु आहार संयंत्र मांगलिया,इन्दौर पर कर्मचारी राज्य बीमा लागू होने की स्थिति में निविदाकार को रजिस्ट्रेशन/पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा तथा इसकी सत्यापित प्रतिलिपि कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं किये जाने की स्थिति में ठेका निरस्त किया जा सकेगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजीकरण के पश्चात् प्रत्येक श्रमिक का ई.एस.आई. कार्ड बनवाकर एक माह में देना अनिवार्य होगा। जिससे कि श्रमिक के दुर्घटनाग्रस्त होने पर चिकित्सा लाभ ले सके तथा चिकित्सा अवकाश अवधि के पारिश्रमिक का भुगतान श्रमिक ठेकेदार द्वारा किया जाना आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में उक्त पारिश्रमिक का कटौती श्रमिक ठेकेदार के आगामी माह के देयक से किया जाकर संबंधित श्रमिक को भुगतान किया जायेगा।
11.	जिस कार्य की निविदा स्वीकृत की गई है उससे संबंधित कार्य हेतु प्रतिदिन प्रति पाली प्रबंधन की आवश्यकतानुसार सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार द्वारा श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे। यदि अतिरिक्त श्रमिक की आवश्यकता होगी तो संबंधित शाखा द्वारा श्रमिक ठेकेदार को यथा समय सूचना मौखिक दी जावेगी। सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार का दायित्व होगा की वह प्रबंधन के निर्देशानुसार श्रमिकों की पूर्ति सुनिश्चित करेगा ताकि कार्य की गतिशीलता प्रभावित न हो तथा आवश्यक होने पर इन श्रमिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। यदि व्यवस्था करने में श्रमिक ठेकेदार असफल होता है तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार को देय भुगतान से वसूल की जा सकेगी तथा आर्थिक शास्ति भी अधिरोपित की जायेगी। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा निविदाकार हेतु बंधनकारी होगा।
12.	सफल निविदाकार को उसकी निविदा स्वीकृत होने के पश्चात दस दिवस की अवधि में समस्त श्रमिकों की जो उसके द्वारा नियोजित किये गये हैं, उनके लिये वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत बीमा कम्पनी से प्रति श्रमिक अधिकतम रू. 1,00,000/- की दुर्घटना समूह बीमा पॉलिसी लेना होगी तथा इसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसी पॉलिसी संपूर्ण ठेके की अवधि तक प्रभावशील/वैध होना जरूरी है। ठेका अवधि में वृद्धि होने पर पालिसी का नवीनीकरण तुरंत कराना होगा। इस हेतु बीमा पॉलिसी के प्रीमियम की प्रतिपूर्ति दुग्ध संघ द्वारा की जावेगी। यदि कार्य करते समय किसी श्रमिक का एक्सीडेंट हो जाय तो ऐसी परिस्थिति में वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत देय मुआवजों एवं अन्य दावों, खर्चों आदि का पूर्ण खर्च श्रमिक ठेकेदार को देना होगा। प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
13.	किसी भी श्रमिक की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए एवं कार्य करने वाले श्रमिक की शारीरिक क्षमता कार्य के योग्य होना चाहिए। इस संबंध में प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा। यदि प्रबंध पक्ष द्वारा महिला श्रमिकों को कार्य पर रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाता है तो उनकी कार्यावधि प्रातः 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे के मध्य तक रहेगी। रात्रि में महिला श्रमिक को कार्य पर नहीं रखा जावेगा।

14.	निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार को सुरक्षा निधि (Security Deposit) रूपये 06 लाख (रु छह लाख मात्र) अनुबंध के समय जमा करनी होगी। इस हेतु सफल निविदाकार की धरोहर राशि (Earnest Money) राशि रु 2,00,000/- (रु दो लाख मात्र) को सुरक्षा निधि (Security Deposit) में समायोजित किया जावेगा। साथ ही सफल निविदाकार को शेष राशि रु 4,00,000/- (रु चार लाख मात्र) की राष्ट्रीयकृत बैंक गारंटी, जो " INDORE SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT CATTLE FEED FACTORY 'के नाम से देय हो तथा न्यूनतम दो वर्ष छः माह के लिये वैध हो, अनिवार्यतः जमा करनी होगी। उक्त सुरक्षा निधि (Security Deposit) ठेका समाप्त होने के पश्चात संघ के समस्त विभागों से अदेय प्रमाण पत्र एवं कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा कार्यालय एवं अन्य कर आदि से संपूर्ण ठेका अवधि की निरीक्षण टीप (एन.ओ.सी.) संयंत्र कार्यालय में जमा कराने के पश्चात ही वापस की जावेगी। जमा सुरक्षा निधि (Security Deposit) पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
15.	श्रमिक ठेकेदार द्वारा पशु आहार संयंत्र में प्रदाय किये गये अपने श्रमिकों को प्रत्येक माह में उनकी उपस्थिति (हाजिरी) के अनुसार न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार मजदूरी का भुगतान स्वयं के स्रोतों से अनिवार्यतः बैंक खाते के माध्यम से आगामी माह की सात (07) तारीख के पूर्व करना होगा तथा उसमें ई.पी.एफ., ई.एस.आई (लागू होने पर), श्रमिक कल्याण निधि इत्यादि का नियमानुसार कटौती करने की संपूर्ण जबाबदारी ठेकेदार की होगी। अधिनियमित कटौती समय पर जमा करने की जबाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। श्रमिक ठेका आवंटन के कार्यादेश दिनांक से एक माह की अवधि में निविदाकार को सभी श्रमिकों के बैंक एकाउंट खोलना अनिवार्य होगा तथा श्रमिकों के वेतन व अन्य दायित्वों का भुगतान बैंक एकाउंट के माध्यम से ही करना होगा। मजदूरी से संबंधित किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान/कम भुगतान की जबाबदारी निविदाकार की होगी। प्रबंधन इस संबंध में जबाबदार नहीं होगा। श्रमिकों को उचित भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निविदाकार द्वारा समस्त श्रमिकों को वेतन पर्ची (Salary Slip) दी जावेगी, जिसकी एक प्रति संघ कार्यालय में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। ठेकेदार द्वारा सभी श्रमिकों के बैंक खाते खुलवाकर संघ को बैंक खातों की सूची की प्रति दी जावेगी। मजदूरों को नियमानुसार देय राशि में से कोई राशि देने में ठेकेदार विफल हो जाता है या नियमानुसार जमा योग्य अन्य राशि जमा नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में भुगतान राशि ठेकेदार की सुरक्षा निधि (Security Deposit) राशि से या देय योग्य राशि में से संघ ठेकेदार के नाम से जमा करा देगा और शेष बची राशि वापस करेगा या ज्यादा राशि होगी तो ठेकेदार से भूराजस्व की बकाया राशि की भाँति वसूल की जावेगी।
16.	प्रत्येक पाली में श्रमिक ठेकेदार या उसके द्वारा नियुक्त/नियोजित पर्यवेक्षक को संपूर्ण अवधि में उपस्थित रहना आवश्यक है जिससे कार्य सुचारु रूप से संपन्न हो सके एवं किसी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका तत्काल निराकरण किया जा सके। यदि पर्यवेक्षक किसी पाली में उपस्थित नहीं पाया जाता है तो अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा। पाली के प्रारंभ व अंत में शाखा प्रभारी से किये गये कार्य का सत्यापन करवाना आवश्यक होगा।
17.	श्रमिक ठेकेदार द्वारा रखे गये श्रमिकों को फ़ैक्ट्री एक्ट के अनुसार हाजिरी कार्ड, परिचय पत्र, अवकाश कार्ड, अतिरिक्त समय कार्ड आदि देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना तथा व्यवस्थित रिकार्ड निविदाकार को पूरा रखना होगा एवं समय-समय पर शासन के अधिकृत निरीक्षकों/अधिकारियों से सत्यापन कराना होगा तथा संघ द्वारा मांग करने पर भी उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
18.	श्रमिक ठेकेदार के नियुक्त श्रमिकों द्वारा किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य में लिप्त पाये जाने/अनुशासनहीनता करने, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल आदि करने पर संबंधित श्रमिक को पारिश्रमिक देय नहीं होगा तथा ऐसे श्रमिकों को तत्काल प्रभाव से कार्य से हटाना होगा एवं श्रमिक ठेकेदार के विरुद्ध रु. 1,000/- प्रति श्रमिक अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया जा सकेगा, जिसकी वसूली दुग्ध संघ द्वारा ठेकेदार के देयक में से की जा सकेगी। दोषी पाये गये श्रमिकों

	को किसी भी दशा में पुनः कार्य पर नहीं रखा जावेगा।
19.	संयंत्र/कार्यालय परिसर में मदिरापान, धूम्रपान या अन्य कोई भी नशा करना या जुआ खेलना पूर्णतः वर्जित है। श्रमिक द्वारा मदिरापान, धूम्रपान, गुटखा, पान, तम्बाकू इत्यादि का उपयोग करते हुये पाये जाने पर श्रमिक ठेकेदार के ऊपर रु. 500/- प्रति श्रमिक का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा। श्रमिक द्वारा लगातार यह कृत्य किये जाने पर उसे भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जायेगा।
20.	श्रमिक ठेकेदार के श्रमिक की गलती से या असावधानी से पशु आहार संयंत्र, तथा संघ की संपत्ति को क्षति होती है या वे किसी प्रकार की चोरी, जानबूझ कर नुकसान करने आदि में संलग्न पाये जाते हैं, तो क्षति की राशि का दो गुना एवं चोरी की स्थिति में सामग्री की राशि के 50 गुना अर्थदण्ड प्रबंधन पक्ष द्वारा अर्थदण्ड लगाया जावेगा जिसकी वसूली उनके देयक से की जावेगी तथा इसके संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। गंभीर अनियमितताओं में लिप्त श्रमिक को भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जा सकेगा।
21.	श्रमिक ठेकेदार को अच्छे आचरण एवं चरित्र के श्रमिक देना होंगे। उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो तथा उनके विरुद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज न हो। यदि कोई श्रमिक संयंत्र/कार्यालय परिसर में अभद्र व्यवहार या लड़ाई झगडा करता हुआ पाया जाता है अथवा संघ के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो ठेकेदार को ऐसे श्रमिक तत्काल हटाना होंगे। ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपराधिक प्रवृत्ति/सजायाफ्ता/असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर न रहें। अगर ऐसा पाया गया तो समस्त वैधानिक जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। किसी भी श्रमिक द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर प्रति श्रमिक राशि रूपये 1,000/- तक अर्थदण्ड ठेकेदार पर अधिरोपित किया जा सकेगा।
22.	श्रमिकों द्वारा किसी भी प्रकार के ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना प्रतिबंधित रहेगा। वे संघ के विरुद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। यदि कोई श्रमिक कर्मचारी यूनियन से सदस्यता लेता है या संघ के विरुद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग लेता है या संयंत्र को बंद कराता है तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त करना ठेकेदार की अनिवार्य जिम्मेदारी होगी। दोषी पाये गये श्रमिक को पुनः कार्य पर नहीं रखा जावेगा। इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रति श्रमिक रूपये 1,000/- तक अर्थदण्ड भी लगाया जा सकेगा, जिसकी वसूली श्रमिक ठेकेदार के देयकों में से की जा सकेगी। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा संबंधित श्रमिक को सेवा से पृथक नहीं किया जाता है व अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर ठेकेदार को ब्लेक लिस्टेड कर ठेका समाप्त कर दिया जायेगा तथा जमा सुरक्षा निधि/धरोहर राशि को भी राजसात कर किया जा सकेगा।
23.	प्रबंधन के निर्देशानुसार श्रमिक ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों की सामयिक चिकित्सा जाँच करवानी होगी तथा तत्संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य पर लगाये गये श्रमिकों को वर्ष में दो बार (प्रत्येक छः माह में) एण्टी टिटनेस का इंजेक्शन ठेकेदार को लगवाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को दी जाना आवश्यक होगी। भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर व्यय की प्रतिपूर्ति संघ द्वारा की जावेगी। श्रमिक ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को छूत की बीमारी या अन्य कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। कार्य के दौरान यदि कोई श्रमिक आहत होता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा व अन्य नियमानुसार सुविधायें ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करवानी होंगी। ऐसा न करने की स्थिति में यदि प्रबंधन द्वारा यह सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उसकी राशि श्रमिक ठेकेदार से वसूली जावेगी तथा आर्थिक दण्ड भी लगाया जा सकेगा।

24.	श्रमिक ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये श्रमिकों को प्रबंधन द्वारा निश्चित की गई रंग की दो गणवेश (दो बुशर्ट, दो पैट, एक जोड़ी जूते) श्रमिक ठेकेदार को स्वयं के व्यय से प्रतिवर्ष उपलब्ध कराना अनिवार्य होगी। महिला श्रमिकों को कार्य पर रखे जाने पर श्रमिक ठेकेदार को उन्हें भी प्रबंधन द्वारा निश्चित की गई रंग की दो गणवेश प्रदान करना अनिवार्य होगा। ऐसे कार्य जैसे सुदाना का उत्पादन व पैकिंग किया जाता है, वहां पर कार्यरत श्रमिक को एप्रेन, टोपी, मास्क, हेण्ड ग्लव्स, शूकवर्स आदि भी ठेकेदार को स्वयं के व्यय से उपलब्ध कराना होगा।
25	समय-समय पर शासन द्वारा न्यूनतम वेतन की दरें बढ़ाई जाने पर श्रमिक ठेकेदार को तदनुसार श्रमिकों की मजदूरी का पूर्ण भुगतान करना होगा। श्रमिक ठेकेदार को उसके कर्मचारियों पर लागू होने वाले समस्त श्रम अधिनियमों, कारखाना अधिनियम तथा अन्य वैधानिक नियमों का पालन करना अनिवार्य है। श्रमिक ठेकेदार को श्रम नियमानुसार समस्त वर्तमान प्रावधानों व भविष्य में शासन द्वारा किये जाने वाले संशोधनों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि श्रमिक ठेकेदार इन नियमों का पालन करने में असफल रहता है तो ऐसी दशा में पशु आहार संयंत्र द्वारा नियमों का पालन करने के लिए किये गये व्यय की वसूली श्रमिक ठेकेदार के देयक से की जावेगी। साथ ही आर्थिक दण्ड भी लगाया जा सकेगा।
26	संयंत्र परिसर में कोई भी श्रमिक टिफिन, बोटल, बैग इत्यादि लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा तथा संयंत्र प्रबंधन द्वारा निर्धारित स्थान पर ही रखेगा, अन्यथा रु. 100/- प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड श्रमिक ठेकेदार पर अधिरोपित किया जाकर उनके देयकों से वसूल किया जावेगा।
27	श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रत्येक माह की 07 तारीख तक गत माह में किये गये कार्यों/ लगाये गये श्रमिकों का मानव दिवस (Mandays) के आधार पर प्रथमतः स्वयं के स्त्रोतों से भुगतान करने के उपरांत शाखा वार सत्यापित बिल प्रबंधन को प्रस्तुत करना होगा। देयकों के साथ मुख पत्र (कवरिंग लेटर) प्रस्तुत करना, जिसमें देयक क्रमांक/दिनांक, शाखा का नाम एवं राशि का उल्लेख होना आवश्यक है। श्रमिक ठेकेदार द्वारा पूर्ण एवं सही बिल, जिसका जिक्र इन कंडिकाओं में किया गया है, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, तो परीक्षण उपरांत उसका भुगतान उस माह की 25 तारीख तक प्रबंधन की शर्तों के अंतर्गत किया जावेगा। देयक के साथ प्रबंधन द्वारा दिये गये प्रारूप में श्रमिक ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों के वेतन पत्रक एवं भुगतान पत्रक संलग्न करना आवश्यक है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी की वेतन दर, वेतन एवं उसमें से किये गये कटौतों एवं भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा(लागू होने पर) एवं अन्य कटौतों दर्शाते हुए शुद्ध वेतन भुगतान का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अपूर्ण देयकों को यथास्थिति में वापस किया जायेगा, जिसके विलंब से भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। श्रमिक ठेकेदार के देयक से आयकर का नियमानुसार टीडीएस कटौत कर आयकर विभाग में जमा किया जावेगा एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति उपरांत श्रमिक ठेकेदार द्वारा संघ से किये गये कटौतों का विवरण प्राप्त किया जा सकेगा।
28	निविदाकार को निविदा के साथ आयकर का PAN कार्ड की छायाप्रति तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 (कर निर्धारण वर्ष 2018-19) एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 (कर निर्धारण वर्ष 2019-20) हेतु जमा किये गये रिटर्न की स्वसत्यापित छायाप्रतियां संलग्न करना होगी।

29	<p>श्रमिक ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक श्रमिक के नाम से ई.पी.एफ./ई.एस.आई खाता खोलना होगा तथा प्रतिमाह ई.पी.एफ./ई.एस.आई (लागू होने पर) का अंशदान नियमानुसार जमा कराने हेतु ई.पी.एफ./ई.एस.आई (लागू होने पर) अंशदान के सत्यापित ऑनलाइन चालान एवं सत्यापित ऑनलाइन सूची जनरेट कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ताकि पशु आहार संयंत्र स्तर से निर्धारित तिथि तक भुगतान किया जा सके। कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय में प्रतिमाह/छःमाही/वार्षिकी रिटर्न, जो वैधानिक तौर पर जमा कराया जाना अनिवार्य हो, की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ एवं कर्मचारियों की सूची सहित संयंत्र कार्यालय में जमा करनी होगी। ई.पी.एफ./ई.एस.आई (लागू होने पर) अंशदान जमा कराने हेतु प्रतिमाह जनरेट कर प्रस्तुत किये गये ऑनलाइन चालानों पर भी यह टीप दी जानी होगी कि “ इस चालान द्वारा माहमें पशु आहार संयंत्र, मांगलिया, इन्दौर को प्रदाय किये गये कुल (संख्या) ठेका श्रमिकों का ई.पी.एफ/ ई. एस.आई (लागू होने पर) अंशदान (..... प्रतिशत) राशि रु. जमा कराया जाना है तथा किसी भी श्रमिक का नाम छोड़ा नहीं गया है” इस आशय का प्रमाण पत्र ऑनलाइन चालान के पीछे देना अनिवार्य होगा । इस हेतु श्रमिक ठेकेदार के द्वारा दिया गया कोई भी आवेदन मान्य नहीं होगा। ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. (लागू होने पर) के कटौतों का ब्योरा प्रतिमाह की वेतन रिलिफ में उल्लेख करना होगा। सर्विस चार्ज केवल पारिश्रमिक (Wages) पर ही देय होगा।</p> <p>श्रमिक ठेकेदार को ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के ऑनलाइन चालानों को प्रतिमाह जनरेट कर मासिक देयकों के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। मासिक देयकों के साथ प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. (लागू होने पर) अंशदान के ऑनलाइन चालानों को जनरेट कर प्रस्तुत नहीं किये जाने पर श्रमिक ठेकेदार के विरुद्ध राशि रु 1,00,000/- (रु.एक लाख मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा तथा चालान प्रस्तुत किये जाने पर ही संबंधित माह के देयकों को पारित किया जा सकेगा। इस संदर्भ में श्रमिक ठेकेदार से कोई पत्र व्यवहार अथवा अपील (लागू होने पर) मान्य नहीं होगी। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयसीमा में ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के चालानों को जनरेट कर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिसके फलस्वरूप श्रमिकों का ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. (लागू होने पर) अंशदान जमा कराने में विलंब होता है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व श्रमिक ठेकेदार का होगा।</p>
30	<p>श्रमिक ठेकेदार को विभिन्न श्रम अधिनियमों, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिनियम , संविदा श्रमिक अधिनियम एवं कारखाना अधिनियम आदि के अंतर्गत वांछित प्रारूपों में जानकारी प्रस्तुत करना होगी व मांगने पर उक्त रिकार्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। प्रतिमाह श्रमिक ठेकेदार को श्रमिकों की सूची व सभी रजिस्टर मासिक देयकों के साथ प्रस्तुत करने होंगे। श्रमिक ठेकेदार की कार्य प्रणाली ऐसी हो कि किसी भी शासकीय विभाग से किसी भी प्रकार की शिकायत संघ को प्राप्त नहीं होना चाहिये। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा वैधानिक नियमों का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप शासन द्वारा आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जाता है तो उसकी वसूली श्रमिक ठेकेदार से की जावेगी।</p>
31	<p>बोनस एवं अन्य वैधानिक दायित्वों के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि एवं श्रमिकों को भुगतान करने का संपूर्ण दायित्व श्रमिक ठेकेदार का होगा। भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार को प्रतिपूर्ति की जावेगी किन्तु इस पर किसी भी प्रकार का सर्विस चार्ज देय नहीं होगा । श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत देयकों के विरुद्ध प्रतिमाह नियमानुसार जमा योग्य GST की राशि को पशु आहार संयंत्र स्तर से जमा कराया जावेगा।</p>

32	भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर अनुबंध की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है अथवा नवीन शर्तों को जोड़ा जा सकता है। यदि परिस्थितियों/नियमों/अधिनियमों में संशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय शर्तों में परिवर्तन/संशोधन/समावेश किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति पर अनुबंध में संशोधन किया जा सकेगा। असहमति की दशा में दो माह की पूर्व सूचना देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।
33	श्रमिक ठेकेदार के संबंध में प्रबंधन यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह कर्मचारी भविष्य निधि /कर्मचारी बीमा योजना (लागू होने पर)/ठेकेदार द्वारा दिये गये संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में संबंधित निकायों/उपक्रमों/विभागों पूर्व नियोक्ताओं से पत्राचार कर यदि ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है, जो श्रमिक ठेकेदार ने अपनी निविदा इत्यादि में उल्लेख न कर उसे छुपाने का प्रयास किया है, तो उसका ठेका किसी भी समय समाप्त किया जायेगा।
34	श्रम नियमानुसार सप्ताहिक अवकाश, कारखाना अवकाश का ओव्हर टाइम ठेका श्रमिकों को श्रमिक ठेकेदार द्वारा भुगतान करना होगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वह श्रम नियमानुसार अपने श्रमिकों से प्रतिमाह 26/27 दिवस से अधिक दिवस कार्य न कराये। साथ ही रिलीवर/एवजी की व्यवस्था भी ठेकेदार को करना होगी, जिसका भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा ठेकेदार को प्रतिपूर्ति की जावेगी। श्रमिक ठेकेदार को श्रमिकों की संख्या के आधार पर भुगतान न करते हुए मानव दिवस (Mandays) के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
35	श्रमिक ठेकेदार द्वारा बैगिंग शाखा में उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिकों द्वारा यदि कार्य के समय बोरे में कम वजन, बिना कोड वाले बोरे रखे जाते हैं एवं इस प्रकार की शिकायतें बाजार से प्राप्त होती हैं, तो श्रमिक ठेकेदार को इसके लिए उत्तरदायी मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं अर्थ दण्ड भी अधिरोपित किया जावेगा साथ ही संघ को होने वाली आर्थिक हानि की पूर्ति भी श्रमिक ठेकेदार से की जावेगी।
36	श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को बताये गये अधिकृत पते अनुसार आयकर का PAN नं., कर्मचारी भविष्य निधि कोड नं., कर्मचारी बीमा कोड नं. एवं GST No. की जानकारी स्पष्टतः देनी होगी।
37	श्रमिकों को कारखाना अधिनियम के परिपालन में एक ही पाली में निरंतर कार्य पर नहीं रखा जा सकता है। श्रमिक ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक श्रमिक की पाली नियमानुसार बदले ऐसा नहीं पाया जाने पर श्रमिक ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी एवं आर्थिक शास्ति अधिरोपित की जावेगी।
38	श्रमिक ठेकेदार को प्रतिमाह कार्य पर रखे श्रमिकों की संख्या मयू नाम, उपनाम, पिता का नाम, ई.पी.एफ नं., यू.ए.एन नं., ई.एस.आई नं (लागू होने पर) एवं उनके कार्य दिवस की संख्या का प्रतिवेदन शाखावार तैयार कर पशु आहार संयंत्र को मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक होगा अन्यथा आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा।
39	श्रमिक ठेकेदार को संयंत्र के गेट पर कारखाना अधिनियम अंतर्गत अनुशंसित श्रमिकों का उपस्थिति रजिस्टर रखना होगा, जिसमें उसके या उसके पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिदिन, प्रति पारी में प्रदाय किये जाने वाले श्रमिकों का विवरण उपलब्ध रहेगा। अधिकृत निरीक्षक अथवा संयंत्र के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मॉगने पर रजिस्टर उपलब्ध कराया जावेगा। श्रमिक ठेकेदार या उनके पर्यवेक्षक को प्रतिदिन उस रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर ठेकेदार पूर्णतः जिम्मेदार होगा।
40	इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, इन्दौर में कार्यरत सुरक्षा ठेकेदार, संचालक मण्डल के सदस्यों/उनके परिजनों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के पदाधिकारियों/उनके परिजनों को श्रमिक ठेका प्रदान नहीं किया जावेगा।
41	श्रमिक ठेकेदार अथवा प्रबंधन को ठेके की अवधि के मध्य दो माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त करने का अधिकार होगा।

42	श्रमिक ठेकेदार द्वारा उपरोक्त उल्लेखित शर्तों व कार्य के विवरण में दी गई सूचनाओं का पालन करना अनिवार्य है। यदि इनमें से कोई भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो दिया गया ठेका निरस्त कर सुरक्षानिधि जब्त की जा सकेगी व आर्थिक दण्ड के साथ साथ उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर श्रमिक ठेकेदार को संघ की काली सूची में डाला जाकर भविष्य में होने वाली संघ की किसी भी निविदा या अन्य कार्यवाही में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।
43	यदि एक से अधिक निविदाकारों द्वारा एक समान दरें प्रस्तुत की जाती हैं तो ठेका आवंटन हेतु लॉटरी के माध्यम से निर्णय लिया जायेगा। लॉटरी के समय निविदाकार/उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। इस हेतु निविदाकार को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर को संबोधित पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, जिसमें प्रतिनिधि को अधिकृत करने का उल्लेख हो।
44	यदि ठेके की शर्तों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो विवाद को 'आर्बिट्रेशन'/'अधिनिर्णयार्थ' अध्यक्ष, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित इन्दौर को सौंपा जावेगा। अध्यक्ष, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित इन्दौर का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
45	किसी भी वाद-विवाद की सुनवाई इन्दौर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही होगी।
46	यदि श्रमिक ठेकेदार का मुख्यालय इन्दौर शहर के अतिरिक्त अन्य कहीं है तो उसे इन्दौर शहर में एक स्थानीय कार्यालय भी खोलना अनिवार्य होगा जिसका पूर्ण पता देना होगा ताकि, प्रबंधन द्वारा पत्राचार उक्त कार्यालय के माध्यम से किया जा सके।

(ब) तकनीकी निविदा के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु निविदाकारों के लिये दिशा निर्देश –

तकनीकी बिड के अंतर्गत पशु आहार संयंत्र द्वारा निविदाकार से अनिवार्यतः वांछित प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची संलग्न प्रपत्र क्रमांक – 02 में दिये गये अनुसार है। निविदाकार द्वारा वांछित दस्तावेजों में से किन किन दस्तावेजों को संलग्न किया गया है इसे सूचीबद्ध करते हुये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर को संबोधित पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।

1. तकनीकी अर्हता क्रमांक 13 एवं 16 हेतु पृथक-पृथक शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. तकनीकी निविदा खोले जाने के उपरांत निविदाकार या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को तकनीकी अर्हतायें से संबंधित समस्त दस्तावेजों का सत्यापन मूल दस्तावेजों से कराना अनिवार्य है।
3. धरोहर राशि ऑनलाइन जमा कर इसकी छायाप्रति स्कैन कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. 'निविदा की सामान्य शर्तें' पर सहमति दर्शाते हुये सील सहित हस्ताक्षर युक्त प्रपत्र क्रमांक 1 (निविदा की सामान्य शर्तें) की प्रति एवं प्रपत्र क्रमांक 2 (अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें) के 17 बिन्दुओं से संबंधित संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियां स्कैन कर ऑनलाइन संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदा प्रपत्रों में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी इसलिए अपनी शर्तों का उल्लेख निविदा प्रपत्रों में नहीं करें।
6. तकनीकी अर्हताओं के परीक्षण उपरांत समस्त अर्हता रखने वाले निविदाकर्ताओं की ही भाव दर ऑनलाइन खोली जायेगी।
7. निविदा प्रपत्रों में दी गई जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवंटित ठेका निरस्त कर धरोहर राशि (**Earnest Money**) राजसात की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

उपरोक्त निविदा की शर्त क्रमांक 1 से 46 तक सभी शर्तें मैंने पढ़ी और समझी हैं । उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए भाव दर प्रस्तुत कर रहा हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर सील सहित

स्थान :-

नाम :-

दिनांक :-

पत्राचार हेतु पता :-

दूरभाष / मो.नं. :-

कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
इकाई पशु आहार संयंत्र, मांगलिया, इन्दौर

अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
इन्दौर ।

महोदय,

पशु आहार संयंत्र, मांगलिया, इन्दौर में आवश्यक सेवाओं को संपादित करने के लिये टेके पर श्रमिक/सेवा कर्मियों को प्रदाय करने के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं । यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार श्रमिक प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ । निम्न तकनीकी अर्हतायें के लिये प्रमाण के तौर पर वांछित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ।

क्र०	आवश्यक अर्हताएं	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज	संलग्न है या नहीं अंकित करें / विवरण दें
1	टेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)	पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र / प्रमाणपत्र ।	है/ नहीं
2	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम ।	संस्था/फर्म के संचालक मण्डल / मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र ।	है/ नहीं
3	यदि कोई पार्टनर हों तो उनका नाम व पता	पंजीकृत पार्टनरशिप डीड ।	है/ नहीं
4	श्रमिक टेके संबंधी जीवित लायसेंस क्रमांक ।	श्रम विभाग का पत्र/ प्रमाण पत्र ।	है/ नहीं
5	भविष्य निधि कोड नं. ।	क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र ।	है/ नहीं
6	कर्मचारी राज्य बीमा कोड नं.। (लागू होने की स्थिति में)	कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र ।	है/ नहीं
7	GST No.	पंजीयन प्रमाण पत्र ।	है/ नहीं
8	वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19	PAN कार्ड की छायाप्रति एवं	है/ नहीं

	का आयकर का रिटर्न जमा करने का प्रमाण।	आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं प्रमाण।	
9	वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 का टर्न ओवर प्रतिवर्ष रु. 30 लाख से अधिक अनिवार्यतः होना चाहिए।	Chartered Accountant द्वारा प्रमाणित वित्तीय पत्रक एवं लाभ/हानि खाते (Profit & Loss A/C) की प्रमाणित छायाप्रति	है/नहीं
10	औद्योगिक/वाणिज्यक/पशु आहार संयंत्र में गत 2 वित्तीय वर्षों (2017-18 एवं 2018-19) में ठेके पर श्रमिक प्रदाय किये हों तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में न्यूनतम 200 दिन तक औसतन कम से कम 25 श्रमिक प्रतिदिन प्रदाय किये हों (संस्था का नाम व पता जहाँ श्रमिक प्रदाय किये गये हों)	नियोक्ता के कार्य आदेश की प्रति/अनुभव का प्रमाण पत्र।	है/नहीं
11	भविष्य निधि अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।	वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में जमा कराये गये ई.पी.एफ की राशि के चालानों की छायाप्रति।	है/नहीं
12	कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण। (लागू होने की स्थिति में)	वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में जमा कराये गये ई.एस.आई की राशि के चालानों की छायाप्रति।	है/नहीं
13	कारखाना एवं श्रम विभाग में प्रकरण/वाद आदि विचाराधीन/लंबित न होने का शपथ-पत्र।	नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रु 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)।	है/नहीं
14	क्या निविदाकर्ता का इन्दौर शहर में कार्यालय है।	यदि हाँ, तो पूर्ण पते का उल्लेख करें।	
15	क्या आपकी संस्था, इन्दौर/भोपाल/उज्जैन/ग्वालियर/जबलपुर/सागर सहकारी दुग्ध संघ या इकाई में पूर्व में भी कभी कार्य कर चुकी है अथवा कर रही है।	यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें।	
16	क्या उक्त संस्थाओं में ई.पी.एफ, ई.एस.आई एवं सर्विस टेक्स इत्यादि का कोई विवाद तो पंजीकृत/विचाराधीन नहीं है।	यदि विवाद नहीं है, तो नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें।(राशि रु 100.00 के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)।	है/नहीं

17	क्या उक्त संस्थाओं से आपकी संस्था को ब्लेक लिस्टेड किया गया है ?	यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें।	
----	--	------------------------------	--

मैंने निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा की शर्त तथा अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु दिये गये दिशा निर्देश, पूर्णतः पढ़ लिये एवं समझ लिये हैं और उस में दिये गये निर्देश के अनुसार ही निविदा प्रक्रिया में भाग ले रहा हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर सील सहित

स्थान :-

नाम :-

दिनांक :-

पत्राचार हेतु पता :-

दूरभाष / मो.नं. :-